| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 24.07.24 | वकील फरीकैन उभय, पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र. (TI) दिनांक 5/8/24 को पेश हो। |
| 05.8.24 | PO महोदय हरियाली राजस्थान कार्यक्रम डीग में व्यस्त है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/8/24 को पेश हो। |
| 14.8.24 | अभिभाषक संघ द्वारा कार्य का ~~बहिष्कार~~ स्थगन रखा गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/8/24 को पेश हो। |
| 21.8.24 | अभिभाषक संघ द्वारा कार्य का ~~बहिष्कार~~ स्थगन रखा गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 03/09/24 को पेश हो। |
| 03.09.24 | PO महोदय, डीग मेला में व्यस्त है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/09/24 को पेश हो। |
| 17.09.24 | पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त हैं अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 07/10/24 को पेश हो। |
| 07.10.24 | पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त हैं अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/10/24 को पेश हो। |
| 28.10.24 | पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य मे व्यस्त हैं अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/11/24 को पेश हो। |
| 20.11.24 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र 212 RTA पर सुनी गई। [illegible] दौराने बहस प्रार्थना पत्र [illegible] तथ्यों को दोहराते हुए बयान किया कि [illegible] कलेक्टर कला के आराजी [illegible] व 112/0.34 शामिल ख.नं. 107 व 108 से बने थे शामिल ख.नं. 107 व 108 दीपा पुत्र फिरूरी को |

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.06 15:32:36 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

इन्तकाल हुई थी। दीपा की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण पटवारी द्वारा अकेले सुखचंद को वारिस मानते हुए खोल दिया जबकि सायलान व अन्य भी दीपा के विधिक वारिसान है अतः प्रथम दृष्ट्या केस सायलान के पक्ष में है और गैर सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजी को मूलवाद के निस्तारण तक रहन बैय मुन्तकिल न करे।

गैर सायलान वकील द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि मूलवाद में प्रार्थीगण द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी व वारिसान को लेकर अनुतोष चाहा गया है गैर खातेदारी से खातेदारी में राजस्थान सरकार से अनुतोष चाहा है जिसमें 80 cpc का नोटिस दावा करने से पूर्व नहीं दिया गया है जवाब प्रार्थना पत्र की मद नं० 9 में गैरसायलान द्वारा मृतक दीपा के दो ओर पुत्रीयां बताई गई है जिनका सायलान द्वारा कोई कॉउन्टर जवाब नहीं दिया गया है अतः दावा मिसजॉइंडर होने से खारिज योग्य है चूंकि प्रार्थना पत्र भी मूल दावे का ही पार्ट है अतः प्रार्थना पत्र 212 भी खारिज योग्य है

मूल पत्रावली का अवलोकन किया / पत्रावली में शामिल दस्तावेजात का की गहनता से अवलोकन [illegible] वकील उभय पक्ष की [illegible] पत्रावली में शामिल [illegible] फतेहपुर कलां संवत 2008 अनुसार [illegible] 107, 108 दीपा वल्द फिडुरी कौम चमार सा० नीरखना गैर मौरूसी दर्ज रिकार्ड है वर्तमान में 111 व 112 गैर सायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.06 16:32:36 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>हरिया V/S सुखचन्दी |
| --- | --- |
| | के नाम दर्ज रिकार्ड है।<br>वकील गैर काबिज द्वारा दौराने बहस उठाये गये तथ्य मूलवाद में तय होने है पत्रावली में पूर्व में ही अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा है अत: उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के मूलवाद तक अस्थाई निषेधाज्ञा के गैर काबिजान के इन्कार किये जाने से कोई विशेष क्षति प्रभावित नही हो रहे है अत: अनावश्यक रूप से वाद बहुलता न बढ़े इस हेतु न्यायालय के विनम्र मत में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना न्यायोचित होगा।<br>अत: ग्राम फतेहपुरकला तह० नगर के आराजी ख.नं. $\frac{111}{0.36}$, $\frac{112}{0.34}$ बाबत जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 5.5.16 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। गैर काबिजान मूलवाद के निस्तारण तक वर्णित आराजीयात को रहन बय मुंतकिल नही करे।<br>पत्रावली कैफियत शुमार होकर नम्बर के शामिल जाकर संलग्न मूलवाद रहे।<br>निर्णय आज दिनांक 20.11.24 को खुले इजलास सुनाया गया।<br>20/11/24<br>(... मीना)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नगर (डीग) राज० |

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.06 15:32:36 IST
Reason: SelfAttested